**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू**
**पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)**

जीएसएम.नं. 2025/222
मुकदमा नम्बर 58/2025 दायर दिनांक–07.05.2025

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र बन्ने सिंह जाति राजपूत निवासी देवीपुरा पटवार हल्का चिराना, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं

...........आवेदकगण

**बनाम**

1. नथू सिंह पुत्र सज्जन सिंह जाति राजपूत
2. नन्द सिंह पुत्र गणपत सिंह जाति गुर्जर समस्त निवासीगण देवीपुरा पटवार हल्का चिराना, तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनूं
3. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़

..........अनावेदकगण

**प्रार्थना पत्र अं. धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

वकील आवेदक–श्री अमर सिंह शेखावत
अनावेदकगण 1 व 2 –एक पक्षीय
अनावेदक सं. 3 – पैरो. राज.

**:–निर्णय–:**

**दिनांकः–12/09/2025**

यह प्रा0 पत्र आवेदकगण द्वारा अन्तर्गत धारा 251 (क) काश्तकारी अधिनियम 1955 को इस कदर पेश किया गया कि, ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में आवेदक की खातेदारी भूमि ख.नं. 869 रकबा 1.57 है0 में आने जाने के लिये अनावेदकगण सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नं. 871 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 18 फीट चौडा रास्ता संलग्न नजरी नक्शे मे दिखाये अनुसार दिया जावे। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये अन्य कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही है।

प्रा. पत्र में तलबी अनावेदकगण कि जारी की गई। अनावेदक सं. 1 व 2 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर इस प्रकरण में इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अनावेदक सं. 3 की ओर से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/35 दिनांक 23.06.2025 पेश की गई, जिसके अनुसार आवेदक को रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है। ख.नं. 871 की उत्तरी सीमा के पास ग्रेवल सडक मौके पर चालू है। संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार बिन्दू सं. ए से बी चौडाई 4 मीटर एंव लम्बाई 130 मीटर बनती तथा कुल क्षेत्रफल 520 वर्ग मीटर बनता है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक के पास अपनी कृषि जोत तक पहुॅचने के लिये रास्ते का अन्य कोई विकल्प नही है तथा अपनी कृषि जोत मे आने जाने के लिये रास्ते की परमआवश्यक्ता है। आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे निकटतम व लघुतम है जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में आवेदक की खातेदारी भूमि ख.नं. 869 रकबा 1.57 है0 में आने जाने के लिये अनावेदकगण सं. 1 व 2 की कृषि भूमि खसरा नं. 871 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे तहसीलदार नवलगढ की रिपोर्ट क्रमांक/35 दिनांक 23.06.2025 तथा उसके साथ संलग्न नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार बिन्दू सं. ए से बी चौडाई 4 मीटर एंव लम्बाई 130 मीटर बनती तथा कुल क्षेत्रफल 520 वर्ग मीटर गै.मु. सिवायचक रास्ता मौके पर कायम किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। ख.नं. 871 के खातेदार काश्तकारों को रास्ते से प्रभावित भूमि के लिये, डीएलसी दर की दोगुनी राशि उनके हिस्से अनुसार आवेदकगण से दिलाई जावे। अनावेदकगण द्वारा राशि प्राप्त नही करने पर राजकोष में अमानत मद में जमा करवाई जावें। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/35 दिनांक 23.06.2025 तथा उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।

तहसीलदार नवलगढ, को आदेशित किया जाता है कि, मुताबिक आदेश मौके पर रास्ता कायम करवाया जाकर, राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 सिवायचक रास्ता दर्ज कर दिया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12/09/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ ,जिला–झुझुंनू

26/6/2025

राजस्थान सरकार

# कार्यालय तहसीलदार नवलगढ जिला–झुंझुनूं (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2025 / 35 दिनांक 23.6.25

प्रेषितः–

**श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,**
**नवलगढ, जिला–झुंझुनूं।**

**विषयः**–मुकदमा नंबर **58 / 2025** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 (क)** उनवान प्रकरण **लक्ष्मण सिंह बनाम नथू सिंह** आदि प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

**प्रसंगः– श्रीमान जी के पत्रांक / राजस्व / तहरीर / 25 / 274 दिनांक 07.05.2025 ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि मुकदमा नंबर **58 / 2025** उनवानी प्रकरण **लक्ष्मण सिंह बनाम नथू सिंह** आदि में प्रश्नगत्त भूमि एवं रिकोर्ड की वस्तुस्थिति की मौका रिपोर्ट श्रीमानजी के आदेशिका की पालना में मौका रिपोर्ट **भू–अभिलेख निरीक्षक चिराना एवं पटवारी हल्का चिराना** से निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की गई, प्राप्त रिपोर्ट मूल ही श्रीमानजी की सेवामें आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। ,

तहसीलदार नवलगढ
तहसीलदार नवलगढ

R. 971
24.6

# मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं रामस्वरूप सैनी (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त चिराना, कार्यालय, तहसीलदार नवलगढ़ के आदेश क्रमांक 329 दिनांक 13/05/25 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 22/05/25 समय 2:00 PM बजे आराजी खसरा नम्बर– 869, 868, 871 वाले ग्राम डेबीपुरा पटवार मंडल चिराना पर श्री सुभाष चन्द्र पुरी पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक ............... दिनांक .................... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

| क्र.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | लक्ष्मण सिंह | पुत्र बन्ने सिंह | 75 | राजपूत | वादी |
| 2. | नन्द सिंह | पुत्र गणपत सिंह | 60 | गुर्जर | प्रतिवादी |

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :-

1. यह है कि वादी को रास्ते की नितान्त आवश्यकता है,
2. वादी के ख.नं. तक पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है
3. वादी ने ख.नं. 871 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता चाहा है जो मौके पर खाली है। ख.नं. 871 के उत्तरी सीमा के पास केवल सड़क मौके पर चालू है
4. ख.नं. 868 रकबा 0.0900 है० किस्म गैर मु० कुआ वादी व प्रतिवादी की शामलाती हिस्से में दर्ज है

पटवारी
प. चिराना

[signature]
ILR चिराना
22/05/25

# नजरी नक्शा

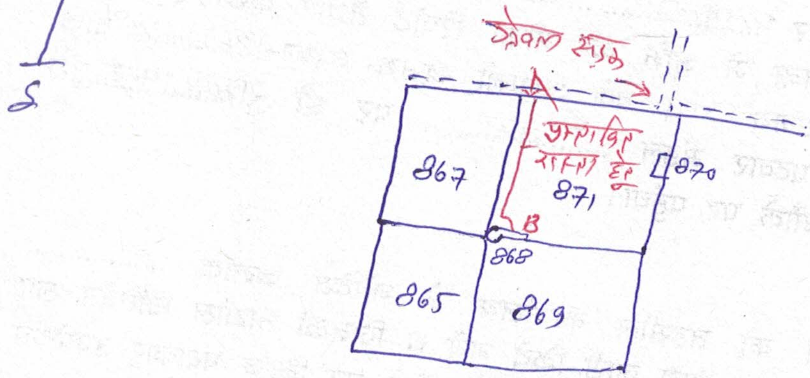


बिन्दु संख्या A से B चौड़ाई 4 मी एवं लम्बाई 130 मी = 520 वर्ग मी.

ह/अस्प.
प. चिरखना

[signature]
22/05/25
ILR चिरखना

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | जाति | हस्ताक्षर | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लक्ष्मण सिंह पुत्र | बन्ने सिंह | राजपूत | लक्ष्मणसिंह | प्रार्थी |
| 2. | नन्द किशोर पुत्र | गणपत सिंह | गुर्जर | | अप्रार्थी |
| 3. | मोहब्बत सिंह पुत्र | नथ्थु सिंह | राजपूत | | अप्रार्थी का पुत्र |

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | प्रार्थी/अप्रार्थी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | नन्द किशोर पुत्र | गणपत सिंह | | गुर्जर | |
| 2 | मोहब्बत सिंह पुत्र | नथ्थु सिंह | | राजपूत | |

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

| क.सं. | नाम | पिता का नाम | उम्र | जाति | पता/ मोबाईल नं. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | विरेन्द्र सिंह पुत्र | लक्ष्मण सिंह | 38 | राजपूत | विरेन्द्रसिंह |
| 2. | दलीप सिंह पुत्र | सोहन सिंह | 39 | राजपूत | दलीपसिंह |

इस प्रकार आज दिनांक .............. को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर प. पिराना<br>
पटवारी<br>
पं. मं.

हस्ताक्षर 22/05/25<br>
भू. अ. निरीक्षक<br>
वृत....पिराना....

आभिभाषक संघ, नवलगढ़

Email ...

NIC-BHUNAKSHA

राजस्थान सरकार

दिनांक : 22/05/2025 03:18:11 PM

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

भू. अ. नि. क्षेत्र : चिराना

तहसील : नवलगढ़

जिला : झूंझुनू

ग्राम : देवीपुरा

हल्का : चिराना

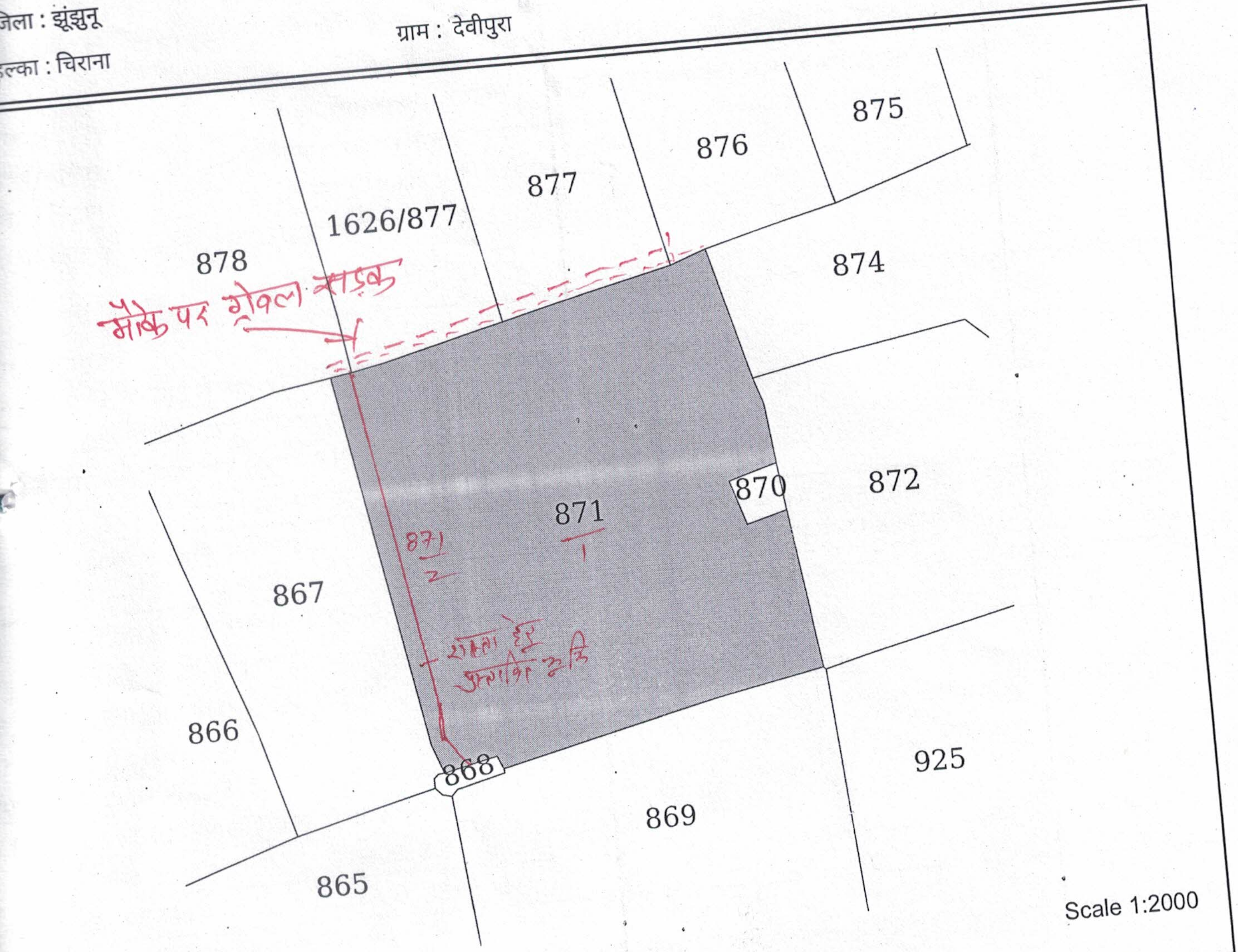


4x130 = 520 वर्ग मी.

खसरा संख्या :871 क्षेत्रफल : 1.6400 Hectare खाता संख्या : 638पुराना खाता संख्या :171

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान ]: चाही 3 [ 0.6900, 7.67 ], चाही 1 जाव [ 0.9500, 6.16 ]

1.) नत्थूसिंह पुत्र सज्जनसिंह हिस्सा- 1577/1892 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार हिस्सा-5/8 ( पूर्ण खाता ) बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा चिराना मूर्तहीन

2.) नन्द किशोर पुत्र गणपत सिह हिस्सा- 315/1892 जाति- गुर्जर सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 ( पूर्ण खाता ) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा चिराना

P-35 ... 162-65 ...

23/05/25 ILK चिराना

प. चिराना

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।